न्यायालय प्रथम अपर जिला जज, बहराइच।

चुनाव याचिका सं०-01/2023

कु० विजय पुष्पम सिंह बनाम यूसुफ अली आदि।

<u>दिनांक-18.03.2026</u>

पत्रावली पेश हुई।

पुकार करायी गयी।

पुकार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वसीम अहमद, एडवोकेट व विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गया प्रसाद मिश्रा, एडवोकेट उपस्थित।

आदेश दिनांक–12.03.2026 के द्वारा विपक्षीगण को यह आदेश दिया गया था कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किये कागजात के खण्डन में कागजात दाखिल कर सकते है, जिसके परिपेक्ष में विपक्षी सं०–1 द्वारा रिबटल में सूची से कागजात दाखिल किये गये है साथ ही विपक्षी सं०–1 द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज सं०–C–67 पूरक शपथ–पत्र बतौर अतिरिक्त मौखिक दाखिल किया है। प्रार्थना–पत्र कागज सं०– C–67 के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना–पत्र पर हर्जे के लिए विरोध किया है।

सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मामले में दोनों पक्षों के साक्ष्य के उपरान्त, बहस हेतु नियत थी। याचिकाकर्ता द्वारा कागजात दाखिल करने के लिए प्रार्थना–पत्र मय कागजात प्रस्तुत किया गया था, जो आदेश दिनांक–12.03.2026 के द्वारा अनुमति दी गयी साथ ही रिबटल में विपक्षीगण को कागजात दाखिल करने के लिए निर्दशित किया गया। आज विपक्षी सं०–1 द्वारा सूची में कागजात तथा अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य शपथ–पत्र दाखिल किये है। जिस पर जिरह हेतु अवसर दिया जाना न्यायोचित है। ऐसे में कागज सं०–A–68 स्वीकार किया जाता है। अतिरिक्त मुख्य परीक्षा शपथ–पत्र कागज सं०–A–68 पत्रावली पर लिया जाता है। याचिकाकर्ता को साक्षी से जिरह हेतु अवसर दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते जिरह दिनांक–23.03.2026 को पेश हो।

प्रथम अपर जिला जज़
बहराइच।